L.A. BILL No. XCIII OF 2025.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, 1963.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ९३ सन् २०२५।

महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था; और, इसलिए, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०२५, १३ अक्तूबर २०२५ को प्रख्यापित हुआ था ;

सन् १९६४ का महा. २०।

सन् २०२५ का महा. अध्या. क्र. ९।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है; अतः भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, २०२५ कहलाए।

(२) यह १३ अक्तूबर २०२५ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९६४ का महा. २० की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ के,— सन् १९६४ का महा. २०।

(१) खण्ड (ञ) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(ञ-१) "राष्ट्रीय महत्त्व के बाजार" का तात्पर्य, धारा ५-१क के अधीन स्थापित राष्ट्रीय महत्त्व के बाजार से है ;";

(२) खण्ड (ट) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(ट-१) "राष्ट्रीय कृषि बाजार" का तात्पर्य, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ कृषि उपज का क्रय और विक्रय किया जाता है और उससे आनुषंगिक गतिविधियाँ या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा कार्यान्वित की जाती है ऐसा पूरा समय और स्थान की कब्जाधीन विपणन उपयोगिता भारतीय एकीकृत बाजार से है ;";

(३) खण्ड (न) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(न-१) "एकीकृत एकल व्यापार लाइसेंस" का तात्पर्य, राज्यान्तरिक या अंतरराज्यीय व्यापार करने के लिए धारा ७क के अधीन अनुदत्त या धारा ७ख के अधीन मान्यताप्राप्त एकीकृत एकल व्यापारी लाइसेंस से है ;"।

सन् १९६४ का महा. २० में अध्याय झ-क के पश्चात् नए अध्याय का निवेशन।

३. मूल अधिनियम का अध्याय झ-क के पश्चात्, निम्न अध्याय निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"अध्याय झ-१क

राष्ट्रीय महत्त्व के बाजार की स्थापना

राष्ट्रीय महत्त्व के बाजार की स्थापना।

"**५-१क.** (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, प्रक्रिया के अधीन मालों का मूल्य, उपरी जलग्रहण क्षेत्र, सेवा दिये गये उपभोक्ताओं की अनुप्रवाही संख्या और उसके लिए विशेष मूलभूत सुविधा आवश्यकताओं, राष्ट्रीय महत्त्व के बाजार द्वारा आवश्यक विनियमन जैसे कृषि उपज विपणन से संबंधित ऐसे पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् धारा ५ के अधीन स्थापित किसी विद्यमान बाजार को "राष्ट्रीय महत्त्व के बाजार" के रूप में पदाभिहित कर सकेगा या किसी बाजार को "राष्ट्रीय महत्त्व के बाजार" के रूप में स्थापना कर सकेगाः

परंतु, अस्सी हजार मेट्रिक टन से कम न हो ऐसे कृषि उपज या सरकार द्वारा, समय-समय से, किसी आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे वार्षिक टनभार या ऐसे वार्षिक मूल्य का कारोबार होनेवाले और जिसमें दो से कम न हो, अन्य राज्यों से कृषि उपज आती है, ऐसे बाजारों का राष्ट्रीय महत्त्व के बाजार के रूप में पदाभिहित करने के लिए विचार-विमर्श किया जा सकेगा।

(२) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय महत्त्व के बाजार में विपणन का विनियमन जैसा कि विहित किया जाए, ऐसी रीत्या होगा।

५-१ख. (१) राष्ट्रीय महत्त्व के बाजार की बाजार समिति, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्,— राष्ट्रीय महत्त्व के बाजार की बाजार समिति की संरचना।

(एक) विपणन मंत्री–अध्यक्ष;

(दो) विपणन राज्य मंत्री-उपाध्यक्ष;

(तीन) कृषि आयुक्त या संयुक्त निदेशक से अनिम्न श्रेणी का न हो, उसका प्रतिनिधि ;

(चार) विपणन निदेशक या उसका प्रतिनिधि, जो सहकारिता विभाग के संयुक्त रजिस्ट्रार से अनिम्न श्रेणी का नहीं होगा ;

(पाँच) महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पूणे के कार्यपालक निदेशक या उसके प्रतिनिधि, जो सहकारिता विभाग के संयुक्त रजिस्ट्रार से अनिम्न श्रेणी का नहीं होगा;

(छह) जिस राजस्व विभाग, जिसमें राष्ट्रीय महत्त्व का बाजार स्थित है, उसमें चार कृषकों में से दो कृषक बाजार समिति के क्षेत्र में से होंगे (जिसमें एक, महिला होगी और एक, अनुसूचित जाति, या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों या निरधिसूचित जनजाति (**विमुक्त जाति**) या खानाबदोश जनजाति से संबंधित व्यक्ति होगा) ;

(सात) यदि आवश्यक हो, जहाँ राष्ट्रीय महत्त्व के बाजार यार्ड में अधिकतम कृषि उपज प्राप्त होती है वहाँ अन्य राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश किए गए, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जानेवाले दो कृषक (दो अन्य राज्यों में से प्रत्येकी, एक);

(आठ) राष्ट्रीय महत्त्व के बाजारों से संबंधित व्यापारी के लाइसेंसधारक न करनेवाले तीन सदस्य, जिसमें से, एक कृषि प्रसंस्करण उद्योग से, जो संबंधित प्रसंस्करण उद्योग में निदेशक या भागीदार के रूप में न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव रखनेवाला होगा, (जिसमें से एक, महिला होगी और एक, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गो या निरधिसूचित जनजाति **(विमुक्त जाति)** या खानाबदोश जनजाति से होगा) ;

(नौ) सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति जो वित्त, विपणन, सहकारिता, प्रबन्धन या आयात-निर्यात के क्षेत्र के किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा।

(२)(क) बाजार समिति किसी मामले या मामलों पर उसे सहायता करने या सलाह देने के प्रयोजन के लिए, निम्न व्यक्तियों को विशेष निमंत्रिती के रूप में आमंत्रित कर सकेगी, अर्थात् :—

(एक) भारत सरकार के संबंधित प्राधिकरण की पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात्, कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (**अपेडा**) का एक प्रतिनिधि;

(दो) महाराष्ट्र राज्य माल भण्डारण निगम के प्रबंधन निदेशक या उसका प्रतिनिधि (जो सहकारिता विभाग के संयुक्त रजिस्ट्रार से अनिम्न श्रेणी का न हो;

(तीन) जहाँ राष्ट्रीय महत्त्व का बाजार स्थित है उस क्षेत्र में की स्थानीय सरकारी निकाय के प्रशासकीय प्रमुख या उसके द्वारा नामनिर्देशित किये गए समूह-अ के अधिकारी से अनिम्न श्रेणी का अधिकारी न हो।

(ख) ऐसे विशेष आमंत्रिती, समिति की बैठक में भाग ले सकेंगे, परंतु, उन्हे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(३) कृषि, विपणन, सहकारिता, राजस्व विभाग से अधिकारी या कोई अन्य विभाग से सरकारी अधिकारी जो सहकारिता विभाग के संयुक्त रजिस्ट्रार के समकक्ष पद धारण करता है, ऐसा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जानेवाला बाजार समिति का सचिव होगा।

(४) राष्ट्रीय महत्त्व के बाजार की बाजार समिति के सदस्य की रूप में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया गया व्यक्ति उसके नामनिर्देशन के दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि तक या राज्य सरकार की इच्छा तक अपना पद धारण करेंगे।

(५) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा ५-१क के अधीन राष्ट्रीय महत्त्व के बाजार के स्थापना की अधिसूचना, यथासंभव शीघ्र , राज्य सरकार द्वारा जारी की है तो विद्यमान बाजार समिति अपना कार्य करने से परिविरत होगी और सभी विद्यमान समिति के सदस्य उनका पद धारण करने से परिविरत होंगे।

राष्ट्रीय महत्त्व के बाजार की बाजार समिति की कार्यकारी समिति।

५-१ग (१) राष्ट्रीय महत्त्व के बाजार की बाजार समिति के दैनिक कर्तव्यों का कार्यान्वयन करने के लिए जैसा कि विहित किया जाए, ऐसे व्यक्तियों से मिलकर एक कार्यकारी समिति गठित होगी।

(२) बाजार समिति अपने अधिकार और कर्तव्यों में कोई भी अधिकार और कर्तव्यों को लिखित में आदेश द्वारा कार्यकारी समिति को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

राष्ट्रीय महत्त्व के बाजार को कतिपय धाराओं का लागू होना।

५-१घ इस अधिनियम के उपबंध, जो धारा ५के अधीन स्थापित बाजारों को लागू होते है, धारा १२(१) का परंतुक और धारा १२(३), १३,१४,१४क,१५,१५क,१६,१७,१८,१९,२०,२१,२१क, २२,२३,२३क,२४,२५,२६,२७,२७क,२८,४१क और ४५ को छोडकर राष्ट्रीय महत्त्व के बाजार को लागू होंगे।"।

सन् १९४६ का महा. २० की धारा ५घ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ५घ की, उप-धारा (६) के खण्ड (क) में, "के उपबंध" शब्दों के पश्चात् "धारा ७क, धारा १०क," शब्द, अंक और अक्षर निविष्ट किए जायेंगे।

सन् १९४६ का महा. २० की धारा ६ में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा ६ की, उप-धारा (२क) में, "धारा ५ घ में यथा उपबंधित को छोडकर, किसी लाइसेंस या अनुमाति की आवश्यकता नहीं होगी, और ऐसी बाजार समिति द्वारा विनियमन नहीं किया जायेगा।" शब्दों के स्थान में, "धारा ५घ में यथा उपबंधित लाइसेंस या बाजार समिति से कोई लाइसेंस या अनुमति आवश्यक होगी, तथापि, बाजार समिति द्वारा ऐसे लाइसेंसधारी से कोई बाजार फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।" शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९४६ का महा. २० की धारा ७ में संशोधन।

६. मूल अधिनियम की धारा ७ की, उप-धारा (३) अपमार्जित की जायेगी।

सन् १९६४ महा. २० में नई धाराएँ ७क और ७ख का निवेशन।

७. मूल अधिनियम की धारा ७ के पश्चात्, निम्न धाराएँ निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

एकीकृत एकल व्यापार लाइसेंस देना।

"**७क.** (१) राज्य में किसी मुख्य बाजार केंद्र, उप-बाजार केंद्र, निजी बाजार केंद्र और ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म पर या इस प्रयोजन के लिए कोई अन्य स्थान में व्यापारी के रूप में कार्य करने के लिए, जैसा कि विहित किया जाए, ऐसी रीत्या और ऐसे प्ररूप में, निदेशक द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुदत्त या नवीकृत किए जानेवाले व्यापारियों के लिए पूरे राज्य में व्यापार करने के लिए एकीकृत एकल व्यापार लाइसेंस होगी।

(२) एक व्यापारी के रूप में, उप-धारा (१) के अधीन एकीकृत एकल व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने या नवीकृत करने के लिए इच्छुक कोई व्यक्ति, जैसा कि विहित किया जाए, ऐसी फीस के साथ ऐसे प्ररूप में निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को आवेदन करेगा।

(३) निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई अधिकारी, उप-धारा (२) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, इस अधिनियम के उपबंधों और इस निमित्त बनाए गए नियमों के अध्यधीन जिसे वह उचित

समझे ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसा कि विहित किया जाए ऐसी अवधि के लिए, लाइसेंस दे सकेगा या नवीकृत कर सकेगाः

परंतु, इस अधिनियम में और नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा लाइसेंस देने या उसे नवीकृत करने के लिए, अधिवास, खरीद या संग्रहण केंद्र की अनिवार्य आवश्यकता या न्यूनतम मात्रा को विचारार्थ नहीं लिया जायेगाः

परंतु आगे यह कि, ऐसी दी गयी या नवीकृत की गयी ऐसी लाइसेंस लाइसेंसधारक को बिना किसी भेदभाव के किसी प्ररूप में अर्थात् प्राथमिक या द्वितीयक या जो भी हो, व्यापार करने का अधिकार प्रदान करेगा।

(४) इस धारा के अधीन निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी एकीकृत एकल व्यापारी लाइसेंस जैसा कि विहित किया जाए, ऐसा संकेतांक अंकित होगा।

आंतरराज्य व्यापार के लिए अन्य राज्यों या संघराज्य क्षेत्रों द्वारा दिए गए या नवीकृत किए गए एकीकृत एकल व्यापारी लाइसेंस की मान्यता।

७ख. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य, किसी अन्य राज्य या संघराज्य क्षेत्र द्वारा दिया गया, संकेतांक अंकित किए गए एकीकृत एकल व्यापार लाइसेंसधारक को या भौतिक सहित कोई अन्य प्रारूप, जिसमें उसके भौगोलिक अधिकार क्षेत्र में जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीत्या, परिचालन मैं है ऐसे ई-प्लॅटफॉर्म पर व्यापारी के रूप में व्यापार संव्यवहार करने की अनुमति दे सकेगा।

(२) ऐसा लाइसेंसधारक जिस राज्य में व्यापार संव्यवहार किया जा रहा है उस राज्य के लागू दर पर जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीत्या, बाजार फीस और अन्य विपणन प्रभार अदा करने के लिए दायी होगा।"।

सन् १९६४ का महा. २० की धारा ८ में संशोधन।

८. मूल अधिनियम की धारा ८ की, उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धारा (४) जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

"(४) यदि इस धारा के अधीन लाइसेंस निलंबित या रद्द की है तब, ऐसा लाइसेंसधारक उसे तत्काल बाजार समिति या निदेशक या, यथास्थिति, उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा, और वह, ऐसे निलंबन या रद्दकरण के कारण, लाइसेंस फीस या कोई अन्य रक़म की संपूर्ण या किसी भागतः की क्षतिपूर्ति या प्रतिदाय का दावा करने का हकदार नहीं होगा।"।

सन् १९६४ का महा. २० की धारा १० में संशोधन।

९. मूल अधिनियम की धारा १० की, उप-धारा (६) के पश्चात् निम्न उप-धारा जोडी जायेगी, अर्थात् :—

"(७) जिसे महाराष्ट्र के भौगोलिक अधिकारिता क्षेत्र के भीतर ई-प्लॅटफॉर्म पर या परिचालन में हो, ऐसे भौतिक समेत कोई अन्य प्रारूप में व्यापारी के रूप में व्यापार संव्यवहार करने के लिए अनुमति दी गयी है, ऐसा एकीकृत एकल व्यापार लाइसेंसधारक, विक्रेता, किसान, बाजार समिति और अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के एकीकृत एकल लाइसेंसधारकों के बीच या उनसे उद्भूत कोई विवाद किसी कृषि उपज की गुणवत्ता या तौल या अदायगी या किसी कृषि उपज के विपणन के विनियमन से संबंधित किसी मामले से संबंधित कोई वाद हो तो निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तीस दिनों के भीतर संक्षिप्त रीत्या, सुलझा जा सकेगा।

(८) उप-धारा (७) के अधीन निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए ऐसे प्ररूप और रीत्या, राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकेगा। अपील प्राधिकारी अपील की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर, पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने पश्चात् निपटान करेगा।"।

सन् १९६४ का महा. २० की धारा ३४ क में संशोधन।

१०. मूल अधिनियम की धारा ३४क की, उप-धारा (१) में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान में, "निदेशक" शब्द रखा जायेगा।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति।

११. (१) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि, कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबधों से असंगत न हो, जो उसे कठिनाई के निराकरणके प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों :

परंतु यह कि, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि अवसित होने के पश्चात, ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

सन् २०२५ का अध्या. क्र. ९ का निरसन और व्यावृत्ति।

१२. (१) महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास औरम विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०२५ एतद्‌द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०२५ का महा. अध्या. क्र. ९।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य

महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३(सन् १९६४ का महा. २०) राज्य में स्थापित बाजार क्षेत्रों और निजी बाजारों तथा किसान उपभोक्ता बाजारों समेत बाजार क्षेत्रो में कृषि और कतिपय अन्य उपजों के विकास और विनियमन करने, बाजार समितियों पर अधिकार प्रदत्त करने तथा उपर्युक्त मामलों से संबंधित प्रयोजनों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

२. राज्य सरकार, किसानों के कृषि उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रचलित नीलामी प्रणाली में एकरूपता और पारदर्शिता लाने के लिए तथा कृषि उपजों के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि उपज का विक्रय और क्रय करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार की संकल्पना के आधार पर ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई-नाम) शुरू की है।

कृषि उपज के व्यापार में अवरोध को कम करने और राज्य की बाजार समिति में किसानों, उनके कृषि उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए, ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना(ई-नाम) कार्यान्वित की है। तथापि, उक्त अधिनियम में एकल एकीकृत व्यापार लाइसेंस के उपबंध न होने के कारण संपूर्ण राज्य के लिए **ई-नाम** योजना के अधीन आंतर बाजार और आंतरराज्य व्यापार में ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना कार्यान्वित नहीं हो सकी। राज्य में **ई-नाम** योजना के प्रभावी कार्यान्वयन करने की दृष्टि से सरकार, संपूर्ण राज्य में कृषि उपज में व्यापार के लिए और अन्य राज्य द्वारा यदि ऐसी मान्यता हो तो, आंतरराज्य व्यापार में भी कृषि उपज के व्यापार के लिए एकल एकीकृत लाइसेंस देने के लिए उपबंध करने हेतु उक्त अधिनियम में संशोधन करना इष्टकर समझती है।

३. जो कोई भी विद्यमान बाजार का कारोबार अस्सी हजार मेट्रिक टन कृषि उपज से कम न हो उतनी दो अन्य राज्यों से कृषि उपज आती है ऐसे किसी भी विद्यमान बाजारों में मूलभूत सुविधाओं की विशेष आवश्यक्ता और कृषि उपज के विक्रय की बेहतर सुविधा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसके राष्ट्रीय महत्व के बाजार के रूप में किसी ऐसे बाजार स्थापित करना या किसी ऐसे बाजार को, राष्ट्रीय महत्व के बाजार के रूप में स्थापित करना आवश्यक समझा गया था।

राष्ट्रीय महत्व के बाजार की बाजार समिति और ऐसी बाजार समिति के दैनंदिन कर्तव्यों का कार्यान्वयन करने के लिए, कार्यकारी समिति की स्थापना करने के लिए भी उपबंध किये गए हैं।

४. एकीकृत एकल व्यापारी लाइसेंसधारक, किसान, ब्यौहारी और बाजार समिति के बीच में और उनमें किसी कृषि उपज की गुणवत्ता या तौल या अदायगी से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए उपबंध करने के प्रावधान है।

५. यह संशोधन यह सुनिश्चित करेगा कि, राज्य के किसानों को, कृषि उपज के प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य से अधिकतम लाभ प्राप्त हो।

६. चूँकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ में संशोधन करने

के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक समझा गया था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा, महाराष्ट्र कृषि और उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०२५ (सन् २०२५ का महा. अध्या. क्र.९) १३ अक्तूबर २०२५ को प्रख्यापित हुआ था।

७. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,
दिनांकित १९ नवंबर, २०२५।

जयकुमार रावल,
विपणन मंत्री।

प्रत्यायुक्त विधानसंबंधी ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक में, विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए निम्न प्रस्ताव अंतर्ग्रस्त है, अर्थात् :—

खण्ड ३.— इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ में धारा ५-१क, ५-१ख, और ५१ग अंतर्विष्टित नवीन अध्याय झ-१क निविष्ट करना है,—

(एक) धारा ५-१क में, राज्य सरकार को, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा किसी विद्यमान बाजार को "राष्ट्रीय महत्त्व का बाजार" के रूप में पदाभिहित करने और राष्ट्रीय महत्त्व के बाजार में विपणन का विनियमन करने की रीति, नियमों द्वारा विहित करने के अधिकार दिए गए हैं।

(दो) धारा ५-१ग में राज्य सरकार को, कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में नियमों द्वारा विहित करने के अधिकार दिए गए हैं।

खण्ड ७.— इस खण्ड के अधीन,—

(क) उक्त अधिनियम में नई धारा ७क निविष्ट करना है, जिसका आशय, एकीकृत एकल व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन का प्ररूप, उसके लिए फ़ीस और ऐसे लाइसेंस तथा उसके लिए युनिकोड की रीति, प्ररूप और अवधि नियमों द्वारा विहित करने के अधिकार राज्य सरकार को दिए गए हैं;

(ख) उक्त अधिनियम में नई धारा ७ख निविष्ट करना है जिसका आशय, अन्य राज्य या संघराज्य क्षेत्र द्वारा जारी किए गए एकीकृत एकल व्यापार लाइसेंस धारक द्वारा उसकी अधिकारिता में व्यापार के रूप में संव्यवहार हाथ में लेने की रीति, नियमों द्वारा विहित करने के अधिकार राज्य सरकार को दिए गए हैं।

खण्ड ९.— इस खण्ड के अधीन, उक्त अधिनियम की धारा १० में संशोधन करना है जिसका आशय, वह प्ररूप और रीति, जिसमें अपील राज्य सरकार को प्रस्तुत की जा सके, नियमों द्वारा विहित करने के अधिकार राज्य सरकार को दिए गए हैं।

खण्ड ११.— इस खण्ड के अधीन, उक्त अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्‌भूत किसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए **राजपत्र** में आदेश जारी करने के अधिकार राज्य सरकार को दिए गए हैं।

२. प्रस्तुत विधेयक में विधायीशक्ति का प्रत्यायोजन करने के लिए उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के हैं।

(यथार्थ अनुवाद),
श्री. अरूण कमळाबाई वाळू गिते,
प्रभारी भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
नागपुर,
दिनांकित १९ नवंबर, २०२५।

जितेंद्र भोळे,
सचिव-१,
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मुद्रणालय, नागपूर.